महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226007

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
निपुण भारत

वेब-साइट: www.upefa.com ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा, उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः सामु0सह0 / स्कूल चलो अभियान / 13679 / 2022-23 लखनऊः दिनांक 29 मार्च, 2023

विषयः शैक्षिक सत्र 2023-24 ''स्कूल चलो अभियान'' के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0-536 / 68-5-2023, दिनांक-22 मार्च, 2023 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 में ''स्कूल चलो अभियान'' के संचालन हेतु प्रत्येक जनपदों को 2.00 लाख (रूपये दो लाख मात्र) की दर से प्रेषित करने के निर्देश दिए गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में अभियान के संचालन हेतु मीडिया एवं कम्प्यूनिटी मोबिलाइजेशन मद से प्रति जनपद रू0 2.00 लाख (रू0 दो लाख मात्र) व्यय किये जाने की सीमा (Limit) निर्धारित की गयी है।

उक्त धनराशि का उपभोग करते हुए उपभोग प्रमाण-पत्र राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना तथा व्यय धनराशि को प्रबन्ध पोर्टल पर मीडिया एवं कम्प्यूनिटी मोबिलाइजेशन मद में अंकित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विजय किरन आनन्द),
राज्य परियोजना निदेशक।

पृष्ठांकनः सामु0सह0 / स्कूल चलो अभियान / /2022-23 लखनऊः तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश, शासन।
2. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. शिक्षा निदेशक, (बेसिक), उ0प्र0 ।
4. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(विजय किरन आनन्द),
राज्य परियोजना निदेशक।

Note: This document is only for the knowledge and bonafide use of the Department of Basic Education, UP Government. Any sharing, publication or reproduction of this document in print or digital form or communication of its contents in any other form by any unconcerned person, body, institute or third party without prior information and approval of the competent authority will be illegal & void ab initio and appropriate action shall be taken against him in accordance with relevant rules & regulations.

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ –226 007
दूरभाष: 2780995, फैक्स: 0522–2781123, 2780998, ई–मेल: spdup@rediffmail.com, upefaspo@gmail.com, वेब साइट: www.up

पत्रांक–अ0प0नि0/पी0एफ0एम0एस0/1503 /2022–23 लखनऊ दिनांक– 28 मार्च, 2023

भुगतान आदेश

राज्य परियोजना निदेशक महोदय के अनुमोदन/स्वीकृति दिनांक–28.03.2023 के क्रम में PFMS की नवीन प्रक्रिया द्वारा समग्र शिक्षा (प्रा0शि0), उ0प्र0 के अन्तर्गत संचालित Community Mobilization मद के कार्यक्रमों हेतु जनपदों द्वारा धनराशि का भुगतान/व्यय/अन्तरण किये जाने हेतु जनपदीय ZBSA खातों में संलग्न विवरण के अनुसार कुल धनराशि रू0 1,50,00,000.00 (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) की सीमा (Limit) निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। राज्य परियोजना कार्यालय के आहरण एवं वितरण अधिकारी उक्त स्वीकृत धनराशि का निम्न विवरण के अनुसार PFMS की नवीन प्रक्रिया द्वारा जनपदीय ZBSA खातों में सीमा (Limit) निर्धारित किये जाने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें–

S. No.	Name	Bank Name & Branch	IFS Code	Account No.	Amount
1	संलग्न विवरण				1,50,00,000.00
TOTAL					1,50,00,000.00

रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र

28.03.2023
वित्त नियंत्रक

पृ0सं0 : अ0प0नि0/पी0एफ0एम0एस0//1503 /2022–23 लखनऊ तद्दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. आहरण एवं वितरण अधिकारी, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
2. पी0एफ0एम0एस0 सेल, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
3. सम्बन्धित–

28.03.2023
वित्त नियंत्रक

संख्या- 536/68-5-2023

सेवा में,

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग– 5, लखनऊ, दिनांक 22 मार्च, 2023

विषयः शैक्षिक सत्र 2023–24 में "स्कूल चलो अभियान" के संचालन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक संख्या–सामु0सह0/ स्कूल चलो अभियान /12759 /2022–23, दिनांक 16 मार्च, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपके पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर विचार करते हुए शासन स्तर से यथोचित आदेश निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है।

2– आपके उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 16 मार्च, 2023 द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोंपरान्त निम्नांकित कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया है:–

(1) शैक्षिक सत्र 2023–24 में स्कूल चलो अभियान के संचालन के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर आयोजित किये जाने वाले समस्त गतिविधियों की तैयारी दिनांक 31.03.2023 तक पूर्ण कर ली जाय।

(2) "**स्कूल चलो अभियान**" का नोडल अधिकारी निदेशक, बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश को नामित किया जाता है।

(3) स्कूल चलो अभियान हेतु राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा उ0प्र0 द्वारा मीडिया एवं कम्युनिटी मोबलाइजेशन मद से प्रत्येक जनपद को रूपये 2.0 लाख आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(4) स्कूल चलो अभियान के शुभारम्भ के सम्बन्ध में तिथि निर्धारण की सूचना अलग से दी जायेगी।

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3. शिक्षा निदेशक (बेसिक), / एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तर प्रदेश ।
4. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
5. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश ।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
संयुक्त सचिव।

महत्वपूर्ण

प्रेषक

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।　　**2. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।**

पत्रांकः सामु0सह0 / स्कूल चलो अभियान / 13403 / 2022–23 / लखनऊ दिनांकः 24 मार्च, 2023

विषयः **शैक्षिक सत्र 2023–24 में "स्कूल चलो अभियान" के संचालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0–536 / 68–5–2023, दिनांक–22 मार्च, 2023 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो "स्कूल चलो अभियान" अभियान के संचालन से संबंधित है।

तत्क्रम में अपेक्षित है कि शैक्षिक सत्र 2023–24 में 'स्कूल चलो अभियान' के संचालन के सम्बंध में दिनांक–31.03.2023 तक तैयारी पूर्ण कर ली जाय। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 'स्कूल चलो अभियान' के शुभारम्भ के सम्बन्ध में तिथि निर्धारण की सूचना अलग से दी जायेगी। इस अभियान के नोडल अधिकारी निदेशक, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश होंगे। 'स्कूल चलो अभियान' के अन्तर्गत निम्नवत् गतिविधियाँ सम्पन्न की जानी हैः–

विभिन्न स्तरों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियाँ–

- 'स्कूल चलो अभियान' के माध्यम से अध्यापकों, बच्चों, जन सामान्य में जागरूकता लाने एवं वातावरण सृजित करने हेतु प्रचार–प्रसार किया जाए। स्कूल चलो अभियान के सन्दर्भ में वातावरण सृजन के लिए समाचार पत्रों में निःशुल्क विज्ञप्ति प्रकाशित कराई जाए तथा होर्डिंग लगाए जाए। पर्याप्त मात्रा में हैण्डबिल छपवाये जाए व विद्यालय स्तर पर वाल राईटिंग कराये जाने के साथ ही स्थानीय मीडिया, स्थानीय सिनेमाघर, लोकल चैनल के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाए। जनपद, विकास खण्ड तथा विद्यालय स्तर पर भी रैली एवं प्रभात फेरी आयोजित करायी जाए।
- 'स्कूल चलो अभियान' में जिलाधिकारी के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, अन्य जनपदीय अधिकारी एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों का भी व्यापक सहयोग प्राप्त किया जाये तथा छात्र नामांकन कराया जाय।
- कार्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा एक 'कलेण्डर आफ एक्टीविटीज' तैयार किया जायेगा और ग्राम स्तर पर पूरे माह यह कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा।
- विकास खण्ड स्तर पर 'स्कूल चलो अभियान', छात्र नामांकन, आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हांकित करने के संदर्भ में कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों, मीडिया प्रतिनिधियों स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए।
- विकास खण्ड स्तर पर आउट ऑफ स्कूल बच्चों, छात्र नामांकन तथा उपस्थिति की स्थिति का विश्लेषण किया जाए तथा तद्नुसार रणनीतियाँ, कार्ययोजनाएँ तथा वर्ष 2023–24 के लिए लक्ष्य निर्धारित किये जाये। न्याय पंचायत स्तर पर भी 'स्कूल चलो अभियान' छात्र–छात्राओं नामांकन तथा उपस्थिति को बढ़ाने के संदर्भ में कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

-

- 'स्कूल चलो अभियान' और छात्रों की नियमित उपस्थिति बढ़ाने के लिए जनपद तथा विकासखण्ड स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन किया जाए, जिसमें आउट ऑफ स्कूल बच्चों, छात्र नामांकन तथा उपस्थिति की स्थिति का विश्लेषण किया जाए तथा तद्नुसार रणनीतियाँ कार्ययोजनाएँ तथा वर्ष 2023–24 के लिए लक्ष्य निर्धारित किये जायें।
- परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान किए जाने तथा यूनीफार्म, स्कूल बैग, जूता–मोजा, स्वेटर कय हेतु डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके माता/पिता/अभिभावक के बैंक खातों में स्थानान्तरित धनराशि से अनिवार्यतः बच्चों को इन सामग्रियों को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अभिभावकों को बताया जाए। इस अवधि में उपस्थित छात्र–छात्राओं को मध्यान्ह भोजन भी उपलब्ध कराया जाये।
- 'स्कूल चलो अभियान' के द्वारा विद्यालयों में नामांकन में वृद्वि तथा नामांकित छात्र–छात्राओं की नियमित उपस्थिति बढ़ाने के लिए समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता (Community & Parental Engagement) सुनिश्चित की जाए।
- विद्यालय स्तर पर 'स्कूल चलो अभियान' के अन्तर्गत छात्र–छात्राओं को अधिक से अधिक नामांकन कराने के लिए स्थानीय समुदाय, विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों, माँ समूह के सदस्यों से सम्पर्क कर उनका सहयोग प्राप्त किया जाए। विद्यालय स्तर पर अभिभावकों की बैठक आयोजित की जाए तथा उन्हें सभी बच्चों के नामांकन और उन्हें स्कूल यूनिफार्म में नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया जाए।
- समान्यतः घरेलू कार्यों में संलिप्तता के कारण बालिकाओं में ड्रापआउट की सम्भावना अधिक रहती है। अतः बालिकाओं के शत प्रतिशत नामांकन एवम् उपस्थिति पर विशेष फोकस किया जाए।
- विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति, छात्र–छात्राओं के सीखने के स्तर को सीधे प्रभावित करते हैं। इस सम्बन्ध में अभिभावकों से बातचीत की जाए एवं बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित किया जाय।
- आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन किया जाए तथा शत–प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित कराया जाए। इस हेतु वर्ष 2023–24 में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा रहा है। किन्तु यह सुनिश्चित किया जाए कि 6 से 14 आयुवर्ग का कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित न रहे।
- मण्डल, जनपद तथा विकास खण्ड स्तरीय सभी शिक्षा अधिकारी भी स्वयं गाँवों का भ्रमण करेंगे, जनसमुदाय तथा अभिभावकों से सम्पर्क कर बच्चों के नामांकन के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
- विकास खण्ड स्तर पर परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त अशासकीय सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों से सम्बन्धित विगत तीन वर्षों के कक्षावार छात्र नामांकन की स्थिति का विश्लेषण किया जाए तथा छात्र नामांकन को बढ़ाने के लिए विद्यालयवार लक्ष्य निर्धारित किया जाए जिसका संकलन विद्यालय विकास खण्डों तथा जनपद स्तर पर किया जाए जिससे इस लक्ष्य के सापेक्ष नियमित अनुश्रवण किया जा सके।
- विकास खण्ड स्तर पर ए0आर0पी0 को विकास खण्ड में स्थित परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का नोडल सह–समन्वयक बनाया जाए तथा उनके लिए नामांकन एवं उपस्थिति हेतु लक्ष्य निर्धारित किये जाए। इस लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियों के आधार पर उनके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाए।
- विद्यालय न्याय पंचायत विकास खण्ड तथा जनपद स्तर पर जिन कार्यक्रमों में समुदाय के सदस्यों, अभिभावकों, शिक्षकों की उपस्थिति हो उनमें कक्षावार व विषयवार शिक्षण सम्बन्धी परिणाम (Learning Outcomes) के बारे में विस्तृत चर्चा की जाए।
- विद्यालय स्तर पर जो कार्यक्रम आयोजित किये जायें, उनमें अभिभावकों के साथ विद्यालय स्तर पर शैक्षिक तथा पाठ्य सहगामी गतिविधियों के आयोजन के सम्बन्ध में प्रस्तुति की जाए। विद्यालय स्तर पर किये जाने वाले विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्यों तथा उपलब्धियों की चर्चा अवश्य की जाए।

- **कक्षा–1 के विद्यार्थियों हेतु नई शिक्षा नीति 2020(NEP) की सिफारिशों के अनुकम में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित "VIDYA PRAVESH"** Guidelines for Three-month Play-based School Preparation Module for Grade I **को लागू किया जाय।**
- इस अभियान के फलस्वरूप होने वाले नामांकन में वृद्धि को विद्यालय की पंजिका में दर्ज किया जाए तथा पंजिका को सदैव अद्यतन रखा जाए। साथ ही नामांकन में हुयी वृद्धि को यू–डायस एवम् प्रेरणा पोर्टल पर अनिवार्यतः अंकित किया जाए। आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों का समुचित डॉक्यूमेंटेशन भी कराया जाए।
- इस अभियान के संचालन का दायित्व जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा विकास खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारियों को प्रदान किया जायेगा।
- जनपद स्तर एवम् विकास खण्ड स्तरों पर 'स्कूल चलो अभियान' के व्यापक प्रचार–प्रसार की तैयारियाँ 31 मार्च, 2023 तक अनिवार्यतः पूर्ण कर ली जाए।
- इस हेतु राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा, उ0प्र0 द्वारा मीडिया एवं कम्युनिटी मोबलाइजेशन मद से प्रत्येक जनपद को धनराशि रू0 2.0 लाख आवंटित किए जाने के सम्बंध में शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कृपया तद्नुसार प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन सं0:सामु0सह0/स्कूल चलो अभियान/13403/2022–23, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
3. शिक्षा निदेशक (बेसिक)/नोडल अधिकारी (स्कूल चलो अभियान), उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
5. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0।
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
8. शिक्षा विशेषज्ञ, यूनीसेफ, उ0प्र0।
9. जिला समन्वयक सामु0सह0/प्रभारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।